



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271194  
CG-DL-E-23032026-271194

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडी – (एसएसआर) – 05/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 07/09/2026-डीजीटीआर -- समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" या "एडी नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, कैबोट सैनमार लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" के रूप में कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) से आयातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में कहा गया है) के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि इसे पहले ही रद्द न कर दिया जाए, इस प्रकार शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएगा; और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**क. विगत जांच की पृष्ठभूमि**

3. चीन और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क जांच दिनांक 22 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी और दिनांक 20 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/40/2020-डीजीटीआर के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। ये उपाय दिनांक 11 नवंबर 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 66/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं पर लागू किए गए थे।
4. इसके बाद, चीन के खिलाफ दिनांक 11 अगस्त 2025 की अधिसूचना सं. 7/05/2025- डीजीटीआर के माध्यम से एक अवशोषण रोधी जांच शुरू की गई थी। शुल्क की मात्रा में संशोधन किया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 30/2025- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से ये उपाय लागू किए गए थे। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 10 नवंबर 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

**ख. विचाराधीन उत्पाद**

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो इस प्रकार है:

*“आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “अनट्रिटेड फ्यूमड सिलिका” है। सिलिका यौगिक के वाष्प चरण ज्वाला हाइड्रोलिसिस से निर्मित सिंथेटिक सिलिका को सामान्य तौर पर फ्यूमड सिलिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की सिंथेटिक सिलिका अपनी कार्यक्षमता, निर्माण प्रक्रिया और आवश्यक कच्चे माल के कारण अन्य सिलिका से भिन्न होती है। जहां अन्य सिंथेटिक सिलिका तरल चरण में सिलिकेट घोल से बनाई जाती हैं, वहीं फ्यूमड सिलिका गैस चरण में बहुत उच्च तापमान पर निर्मित की जाती है।*

*फ्यूमड सिलिका को अनुपचारित फ्यूमड सिलिका और उपचारित फ्यूमड सिलिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुपचारित फ्यूमड सिलिका, क्लोरोसिलैन फीडस्टॉक के ज्वाला हाइड्रोलिसिस द्वारा ऑक्सीजन-हाइड्रोजन ज्वाला में 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बनाई जाती है। यह प्रक्रिया एक अद्वितीय संरचना वाली सिलिका के उत्पादन को संभव बनाती है, जिसमें शृंखला की तरह समुच्चय और गुच्छे शामिल होते हैं।*

6. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत उप-शीर्ष 28112200 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो विगत जांच परिणाम रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था।
8. आवेदक ने इस चरण पर किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।
9. विचाराधीन जांच में हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हो, इस जांच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

**ग. समान वस्तु**

10. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है, और दोनों ही 'समान वस्तुएं' हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, उत्पाद की आवश्यक विशेषताओं जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं और करते भी आ रहे हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के विकल्प हैं और इसलिए, नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। 'समान वस्तु' के मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के

दौरान भी पहले ही की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए एक 'समान वस्तु' है।

#### घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह आवेदन कैबोट सैनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।
12. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

#### ड. संबद्ध देश

13. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है। कोरिया गणराज्य के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरिया गणराज्य से पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना के संबंध में कोई विधिवत पुष्ट आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

#### च. जांच की अवधि

14. आवेदक ने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया था। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

#### छ. कथित पाटन का आधार

##### सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह सिद्ध करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने जापान से आयात मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे 'कारखाना बाह्य' स्तर पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है। विगत जांच में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाई गई थी। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे निवल 'कारखाना बाह्य' स्तर पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है।
17. संबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें और विधिवत पुष्ट दावे करें।

#### निर्यात मूल्य

18. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य, डीजी सिस्टम्स के डेटा में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह पर हैंडलिंग का खर्च, क्रेडिट लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

#### पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना 'कारखाना बाह्य' स्तर पर की गई है। प्रथम दृष्टया यह देखने में आया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में लगातार पाटित किया जा रहा है।

#### ज. क्षति और पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

20. आवेदक ने संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में, पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही संदर्भों में, वृद्धि के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के संबंध में भी जानकारी प्रदान की है, जिसमें लगातार पाटन,

उपायों की अवधि समाप्त होने पर कीमतों पर पड़ने वाला संभावित ह्रास/न्यूनीकरण का प्रभाव, संबद्ध देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार, क्षमताओं की तुलना में संबद्ध देश में मांग का कम होना, और निर्यात-उन्मुखता जैसी जानकारी शामिल है, जिन्हें क्षति की संभावना सिद्ध करने का आधार बनाया गया है।

21. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, *प्रथम दृष्टया*, संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की संभावना और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति को दर्शाती है।

### झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

22. आवेदक के विधिवत समर्थित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को पुष्ट करते हैं तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं। इस जांच का प्रयोजन संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के संबंध में, वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना है; साथ ही यह जांच करना है कि क्या ऐसे शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### ञ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

### ट. सूचना की प्रस्तुति

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण स्वयं कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी: एडी/एसएसआर/005/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें।
26. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध नीचे निर्धारित किए गए तरीके और समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) और सेतु पोर्टल) उच्च पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के फॉर्मेट, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्च/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।

### ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की आईडी: एडी/एसएसआर/005/2026 के तहत सेतु पोर्टल) (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ) सीवी) और अगोपनीय पाठ) एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली के 1995नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और पाटनरोधी नियमावली 1995के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित) हित की प्रकृति सहित (के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।
30. पीयूसी/ पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15-दिवसीय अवधि, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा-28 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ चलेगी।
31. पीयूसी/ पीसीएन में बदलाव के कारण समय-सीमा में विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद में जारी किसी सूचना के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में ऐसा बदलाव करती है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार, संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। इस पैरा में उल्लिखित किया गया 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ हो। इस 15 दिनों के विस्तार (यदि दिया गया हो) के बाद और अधिक समय-विस्तार के लिए किए गए अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।
32. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से मूल समयसीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

33. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
35. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।
36. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।
39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि

जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

41. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

**ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

**ण. असहयोग**

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2026

**Case No. AD (SSR)-05/2026**

**Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of “Untreated Fumed Silica” originating in or exported from China PR.**

1. **F. No. 07/09/2026-DGTR** - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or “AD Rules”), Cabot Sanmar Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Untreated Fumed Silica” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
  2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- A. Background of previous investigation.**
3. The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China and Korea RP was initiated on 22nd September 2020 and vide Final Finding Notification No. 6/40/2020-DGTR dated 20th September 2021, anti-dumping duty were recommended for a period of 5 years. The measures were imposed on the subject goods vide Customs Notification 66/2021- Customs (ADD) dated 11th November 2021.
  4. Thereafter, an anti-absorption investigation was initiated vide Notification No. 7/05/2025- DGTR dated 11th August 2025 against China. The quantum of duty was modified, and the measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 30/2025- Customs (ADD) dated 27th October 2025. The current anti-dumping duties will expire on 10<sup>th</sup> November 2026.

**B. Product under Consideration.**

5. The product under consideration in the present investigation is same as that defined in the original investigation which is as follows:

*“The product under consideration in the application is “untreated fumed silica”. Synthetic silica manufactured from a vapour phase flame hydrolysis of a silane compound, is popularly known as fumed silica. This type of synthetic silica is different from other silica by its functionality and manufacturing process and the raw materials needed. While other synthetic silicas are made from silicate solution in a liquid phase, fumed silica is manufactured in a gas phase at a very high temperature.*

*Fumed silica is classified as untreated fumed silica and treated fumed silica. Untreated Fumed silica is made by the flame hydrolysis of Chlorosilane feedstock in an oxygen hydrogen flame at temperatures of 1800 deg C. This process allows production of the silica with unique structure comprising of chain like aggregates and agglomerates.*

6. The subject goods are classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under the subheading 28112200. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
7. Since the present application is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previous finding.
8. The applicant has not proposed a PCN methodology at this stage.
9. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

**C. Like article.**

10. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those imported from the subject country, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**D. Domestic industry and standing.**

11. The application has been filed by Cabot Sanmar Limited. The applicant is the sole producer of the subject product in India.
12. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**E. Subject country.**

13. The subject country for the present anti-dumping investigation is China PR. Investigation is not being initiated against Korea RP as there is no duly substantiated application with regards to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty from Korea RP.

**F. Period of investigation.**

14. The applicant had proposed 1<sup>st</sup> October 2024 to 30<sup>th</sup> September 2025 as the period of investigation. The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the investigation. The injury investigation period will cover the period of 2022 –2023, 2023–2024, 2024–2025 and the period of investigation.

**G. Basis of alleged dumping.****Normal value**

15. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to

demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

16. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has claimed normal value for China based on the import price from Japan adjusted to arrive at ex-factory level. A similar methodology was adopted in the previous investigation. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based the import price from Japan adjusted to arrive at net ex-factory level.
17. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value.

#### **Export price**

18. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, port handling expense, credit costs and inventory carrying cost.

#### **Dumping margin**

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level. It is *prima facie* seen that the dumping margin is positive. This *prima facie* establishes that product under consideration is continued to be dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

#### **H. Injury and likelihood of recurrence of dumping and injury.**

20. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to increase in the volume of imports from the subject country in absolute as well as relative terms. The applicant has also provided information for likelihood of injury including information on continued dumping, likely suppressing/depressing effect in event of expiry of measures, capacity expansion in the subject country, low in demand in the subject country in comparison to capacities and export orientation as the basis to establish the likelihood of injury.
21. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of continuation of dumping from the subject country and the consequent injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties.

#### **I. Initiation of sunset review investigation.**

22. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **J. Procedure.**

23. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

#### **K. Submission of information.**

24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID: AD/SSR/005/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties. Any party

making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**L. Time limit.**

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID: AD/SSR/005/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of receipt of the notice calling for any information as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 28 above of this initiation notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

**M. Submission of information on a confidential basis.**

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of submission of the non-confidential version of the documents by other parties.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

**N. Inspection of public file.**

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**O. Non-cooperation.**

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority